

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप महाप्रबन्धक (जल)

सैक्टर-5, नौएडा।

पत्र सं० नौएडा/उम०(जल)/2020/ 350

दिनांक :- 30/3/20

दिनांक 04.04.2020 से निदेशक मण्डल के समक्ष बोर्ड की 198वीं बैठक में मद सं० 16 के क्रम में 7.50% वृद्धि अनुमोदन के अनुसार बढ़ी हुई दरें निर्धारित की गई हैं के क्रम में 7.50% की वृद्धि कर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित सम्पत्तियों के जल प्रभार निम्न प्रकार होंगे :-

बहुमंजिले आवासीय भवनों की जल प्रभार एवं कनैक्शन दरें।

क्र०सं०	भवनों का विवरण	दिनांक 01.07.2013 से लागू जल प्रभार दरें प्रतिमाह (राशि रू० में)	दिनांक 01.04.2018 से लागू जल प्रभार दरें प्रतिमाह (राशि रू० में)	दिनांक 01.04.2020 से लागू जल प्रभार दरें प्रतिमाह (राशि रू० में)	1.07.2013 से कनैक्शन (राशि रू० में)	दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी कनैक्शन राशि (जो स्वीकृति तिथि से लागू होगी मजदूरी एवं सिक्वोरिटी राशि छोड़कर) (राशि रू० में)	दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी कनैक्शन राशि (जो स्वीकृति तिथि से लागू होगी मजदूरी एवं सिक्वोरिटी राशि छोड़कर) (राशि रू० में)
1	श्रमिक कुंज	30.00	33.00	35.00	875.00	1400.00	1500.00
2	निर्बल आय वर्ग	20.00	35.00	40.00	1750.00	2800.00	3000.00
3	निम्न आय वर्ग	50.00	63.00	70.00	3000.00	4800.00	5200.00
4	एम.आई.जी.	175.00	219.00	240.00	6800.00	10880.00	11700.00
5	एच.आई.जी.	210.00	263.00	285.00	8000.00	12800.00	13800.00
6	डूल्सेक्स	260.00	325.00	350.00	9200.00	14720.00	15800.00

आवासीय (सिंगल स्टोरी) आबंटित भवन एवं भूखण्ड की जल प्रभार एवं कनैक्शन दरें।

क्र०सं०	भवनों का विवरण	दिनांक 01.07.2013 से लागू जल प्रभार दरें प्रतिमाह (राशि रू० में)	दिनांक 01.04.2018 से लागू जल प्रभार दरें प्रतिमाह (राशि रू० में)	दिनांक 01.04.2020 से लागू जल प्रभार दरें प्रतिमाह (राशि रू० में)	01.07.2013 से कनैक्शन (राशि रू० में)	दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी कनैक्शन राशि (जो स्वीकृति तिथि से लागू होगी मजदूरी एवं सिक्वोरिटी राशि छोड़कर) (राशि रू० में)	दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी कनैक्शन राशि (जो स्वीकृति तिथि से लागू होगी मजदूरी एवं सिक्वोरिटी राशि छोड़कर) (राशि रू० में)
1	ग्रामवासी	50.00	55.00	60.00	750.00	1200.00	1300.00
2	1-30	50.00	55.00	60.00	2250.00	3600.00	3900.00
3	31-50	75.00	94.00	100.00	3000.00	4800.00	5200.00
4	51-100	200.00	250.00	270.00	5000.00	8000.00	8600.00
5	101-200	250.00	313.00	340.00	5500.00	8800.00	9500.00
6	201-300	350.00	438.00	470.00	6000.00	9600.00	10300.00
7	301-400	400.00	500.00	540.00	6200.00	9920.00	10700.00
8	401-500	470.00	588.00	635.00	7400.00	11840.00	12700.00
9	501-1000	525.00	656.00	705.00	8600.00	13760.00	14800.00
10	बल्क संयोजन	5/- PKL	7.50/- PKL	-	-	-	8.00/- PKL


Acc't


Acc't


Acc't

औद्योगिक, संस्थागत तथा वाणिज्यिक सम्पत्तियों पर जल प्रभार एवं कनेक्शन दरें।

वर्तमान में 1000 मीटर के कम के आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत तथा वाणिज्यिक प्लाट्स को संयोजन उपरभोक्ता द्वारा प्राधिकरण के सुपरविजन में किये जाते हैं। उक्त की भाँति ही 1000 मीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक, संस्थागत तथा वाणिज्यिक सम्पत्तियों में भी जल/सीवर संयोजन आवेदन आवेदक द्वारा कराने हेतु प्राक्धान सुनिश्चित किया जाना उचित होगा जिससे संयोजन में अतिरिक्त समय नहीं लगे एवं जल राजस्व शीघ्र प्राप्त हो सके।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2020 तक आवासीय/औद्योगिक/संस्थागत/
वाणिज्यिक सम्पत्तियों पर बल्क संयोजनों की वर्तमान दरें (1000 मीटर से अधिक)

क्र०सं०	जल संयोजन	जल उत्सर्जन प्रतिदिन	आवासीय@ 7.50 per K.L. 30.42 day/Month	औद्योगिक संस्थागत1.25 xआवासीयper Month	वाणिज्यिक2.0 xआवासीयper Month
1	100 mm	203.71 K.L./Days	Rs. 1527.83 per day x 30.42 days = Rs. 46476.44 per month Say Rs. 46476.00	Rs. 58095.00	Rs. 92952.00
2	150 mm	458.36 K.L./Days	Rs. 3437.70 per day x 30.42 days = Rs. 104574.83 per month Say Rs. 104575.00	Rs. 130719.00	Rs. 209150.00
3	200 mm	814.86 K.L./Days	Rs. 6111.45 per day x 30.42 days = Rs. 185910.31 per month Say Rs. 185910.00	Rs. 232388.00	Rs. 371820.00
4	250 mm	1273.22 K.L./Days	Rs. 9549.15 per day x 30.42 days = Rs. 290485.14 per month Say Rs. 290485.00	Rs. 363106.00	Rs. 580970.00
5	300 mm	1833.43 K.L./Days	Rs. 13750.73 per day x 30.42 days = Rs. 418297.05 per month Say Rs. 418297.00	Rs. 522871.00	Rs. 836594.00
6	350 mm	2495.51 K.L./Days	Rs. 18716.33 per day x 30.42 days = Rs. 569350.61 per month Say Rs. 569351.00	Rs. 711688.00	Rs. 1138701.00

दिनांक 01.04.2020 से आवासीय/औद्योगिक/संस्थागत/वाणिज्यिक सम्पत्तियों पर बल्क संयोजनों की नई दरें (1000 मीटर से अधिक)

क्र०सं०	जल संयोजन	जल उत्सर्जन प्रतिदिन	आवासीय@ 8.00 per K.L. per day	औद्योगिक संस्थागत11.00 xआवासीयper Month	वाणिज्यिक16.00 xआवासीयper Month
1	100 mm	203.71 K.L./Days	Rs. 49575.00	Rs. 68165.00	Rs. 99150.00
2	150 mm	458.36 K.L./Days	Rs. 111550.00	Rs. 153380.00	Rs. 223095.00
3	200 mm	814.86 K.L./Days	Rs. 198305.00	Rs. 272680.00	Rs. 396609.00
4	250 mm	1273.22 K.L./Days	Rs. 309850.00	Rs. 4026045.00	Rs. 619705.00
5	300 mm	1833.43 K.L./Days	Rs. 446185.00	Rs. 613505.00	Rs. 892370.00
6	350 mm	2495.51 K.L./Days	Rs. 607310.00	Rs. 835050.00	Rs. 1214615.00



औद्योगिक/संस्थागत सम्पत्तियों की जल प्रभार एवं कनेक्शन दरें
औद्योगिक/संस्थागत

क्र०सं०	भूखण्ड का क्षेत्रफल	दिनांक 01.07.2013 स्थाई जल दर प्रतिमाह	दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी जल दर प्रतिमाह	दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी जल दर प्रतिमाह	दिनांक 01.07.2013 से लागू संयोजन शुल्क स्थाई प्रतिमाह	दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी संयोजन शुल्क स्थाई प्रतिमाह	दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी संयोजन शुल्क स्थाई प्रतिमाह
1	0 to 30	130.00	163.00	175.00	3200.00	5100.00	5500.00
2	31 to 50	130.00	163.00	175.00	3800.00	6100.00	6600.00
3	51 to 100	250.00	313.00	340.00	6300.00	10100.00	10900.00
4	101 to 200	320.00	400.00	430.00	6900.00	11000.00	11800.00
5	201 to 300	440.00	550.00	595.00	7500.00	12000.00	12900.00
6	301 to 400	500.00	625.00	675.00	7800.00	12500.00	13400.00
7	401 to 500	590.00	738.00	795.00	9300.00	14900.00	16000.00
8	501 to 1000	660.00	825.00	890.00	10800.00	17300.00	18600.00
9	1000 to 5000	825.00	1032.00	1110.00	13500.00	17300.00	18600.00
		-	-	KL	-	-	22000.00
10	5000 to 10000	-	-	KL	-	-	26000.00
11	10000 to above	-	-	KL	-	-	30000.00

वाणिज्यिक सम्पत्तियों की जल प्रभार एवं कनेक्शन दरें
वाणिज्यिक

क्र०सं०	भूखण्ड का क्षेत्रफल	दिनांक 01.07.2013 स्थाई जल दर प्रतिमाह	दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी जल दर प्रतिमाह	दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी कनेक्शन राशि (जा स्वीकृति तिथि से लागू होगी मजदूरी एवं सिक्योरिटी राशि छोड़कर) (राशि रू० में)	दिनांक 01.07.2013 से लागू संयोजन शुल्क स्थाई प्रतिमाह	दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी संयोजन शुल्क स्थाई प्रतिमाह	दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी संयोजन शुल्क स्थाई प्रतिमाह
1	0 to 30	180.00	225.00	245.00	5000.00	8000.00	8600.00
2	31 to 50	180.00	225.00	245.00	6000.00	9600.00	10300.00
3	51 to 100	400.00	500.00	540.00	10000.00	16000.00	17200.00
4	101 to 200	500.00	625.00	675.00	11000.00	17600.00	18900.00
5	201 to 300	700.00	875.00	950.00	12000.00	19000.00	20400.00
6	301 to 400	800.00	1000.00	1100.00	12400.00	19800.00	21300.00
7	401 to 500	940.00	1175.00	1265.00	14800.00	23700.00	25500.00
8	501 to 1000	1050.00	1313.00	1415.00	17200.00	27500.00	29600.00
9	1000 to above	-	-	KL	-	-	35500.00

जल प्रभार राशि को जमा करवाने की अवधि।



क्र०सं०	वसूली प्रक्रिया	वार्षिक धनराशि की वर्तमान सीमा	वार्षिक धनराशि की दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी सीमा	वार्षिक धनराशि की दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी सीमा	प्रसतावित छूट	
					10 प्रतिशत	5 प्रतिशत
1	वार्षिक	01से 2400	01 से 6000	01 से 6500	कम से कम 10 माह पूर्व जमा करने पर	कम से कम 6 माह पूर्व जमा करने पर
2	छमाही	2401 से 6000	6001 से 15000	6501 से 16000		
3	तिमाही	6001 से 15000	15001 से 38000	16001 से 41000		
4	मासिक	15001 से अधिक	38001 से अधिक	41001 से अधिक		

अनाधिकृत कनैक्शनों को अधिकृत करने एवं अति देय राशि को वसूल करने हेतु।

दिनांक 01.04.2018 से पूर्व सभी प्रकार की सम्पत्तियों पर अनाधिकृत कनैक्शन को अधिकृत करने हेतु पैनाल्टी राशि 250 वर्गमीटर तक रू० 4000.00 एवं 250 वर्गमीटर से अधिक पर रू० 8000.00 तथा चार साल के वर्तमान जल दर अथवा कब्जे की तिथि से जल दर पर ब्याज सहित जो भी कम हो की राशि लेकर अधिकृत किया जाता है जिसमें कनैक्शन राशि, सिक्वोरिटी तथा अनुरक्षण चार्ज भी लिये जाते रहे हैं।

दिनांक 01.04.2018 से पैनाल्टी राशि सभी वर्ग की सम्पत्तियों पर 250 वर्गमीटर तक रू० 4000.00 के स्थान पर रू० 10000.00 एवं 250 वर्गमीटर से अधिक पर रू० 8000.00 के स्थान पर रू० 20000.00 देय होगी। तथा अनाधिकृत कनैक्शनों को अधिकृत करने के लिये चार साल की स्थाई जल दर के स्थान पर आवासीय भूखण्ड की दशा में अधिभोग प्रमाण पत्र की तिथि से जल दर ब्याज 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धिब्याज सहित तथा आवासीय भवन की दशा में बिजली के कनैक्शन की तिथि तथा औद्योगिक/व्यवसायिक/संस्थागत भवनों व भूखण्डों की दशा एस.एस.आई. (Small Scale Industries) की तिथि/प्राधिकरण द्वारा कार्यशील होने का प्रमाण पत्र की तिथि या अधिभोग प्रमाण पत्र की तिथि से जो भी पहले जारी हुआ है को आधार मानते हुए जल दर ब्याज सहित ली जायेगी। पैनाल्टी, कनैक्शन राशि तथा अनुरक्षण चार्ज कब्जे की तिथि से लिये जाते थे।

दिनांक 01.04.2020 से सभी प्रकार की सम्पत्तियों पर अनाधिकृत कनैक्शन को अधिकृत करने हेतु पैनाल्टी राशि 250 वर्गमीटर तक रू० 4000.00 एवं 250 वर्गमीटर से अधिक पर रू० 8000.00 तथा चार साल के वर्तमान जल दर अथवा कब्जे की तिथि से जल दर पर ब्याज सहित जो भी कम हो की राशि लेकर अधिकृत किया जाता है जिसमें कनैक्शन राशि, सिक्वोरिटी तथा अनुरक्षण चार्ज भी लिये जाते रहे हैं।

दिनांक 01.04.2020 से पैनाल्टी राशि सभी वर्ग की सम्पत्तियों पर 250 वर्गमीटर तक रू० 4000.00 के स्थान पर रू० 10000.00 एवं 250 वर्गमीटर से अधिक पर रू० 8000.00 के स्थान पर रू० 20000.00 देय होगी। तथा अनाधिकृत कनैक्शनों को अधिकृत करने के लिये चार साल की स्थाई जल दर के स्थान पर आवासीय भूखण्ड की दशा में अधिभोग प्रमाण पत्र की तिथि से जल दर ब्याज 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित तथा आवासीय भवन की दशा में बिजली के कनैक्शन की तिथि तथा औद्योगिक/व्यवसायिक/संस्थागत भवनों व भूखण्डों की दशा एस.एस.आई. (Small Scale Industries) की तिथि/प्राधिकरण द्वारा कार्यशील होने का प्रमाण पत्र की तिथि या अधिभोग प्रमाण पत्र की तिथि से जो भी पहले जारी हुआ है को आधार मानते हुए जल दर ब्याज सहित ली जायेगी। पैनाल्टी, कनैक्शन राशि तथा अनुरक्षण चार्ज कब्जे की तिथि से लिया जायेगा।

पत्र तथा नाम परिवर्तन हेतु शुल्क

	वर्तमान में	दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी दर	दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी दर
आवासीय	500.00	1000.00	1100.00
औद्योगिक/संस्थागत	1500.00	3000.00	3200.00
वाणिज्यिक	1500.00	3000.00	3200.00



वर्तमान में
200.00

दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी दर
400.00

दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी दर
आवासीय 500.00
औद्योगिक/संस्थागत/वाणिज्यिक 1000.00

सभी सम्पत्तियों में अनुरक्षण शुल्क स्थाई जल प्रभार राशि का आधा होगा। अस्थाई जल दर एवं अस्थाई संयोजन शुल्क स्थाई प्रभार सवा गुना होगा। सभी प्रकार की परिसम्पत्तियों पर 15 एमएम व्यास का दूसरा कनेक्शन लेने पर जल प्रभार पहले कनेक्शन 15 एमएम का सवा गुना होगा।

बल्क कनेक्शन की दरें

	वर्तमान में स्थाई संयोजन दर	दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी स्थाई संयोजन दर	दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी स्थाई संयोजन दर
आवासीय	रु0 6.00 प्रति कि0ली0	रु0 7.50 प्रति कि0ली0	रु0 8.00 प्रति कि0ली0
औद्योगिक/संस्थागत	रु0 7.50 प्रति कि0ली0	रु0 10.00 प्रति कि0ली0	रु0 11.00 प्रति कि0ली0
वाणिज्यिक	रु0 12.00 प्रति कि0ली0	रु0 15.00 प्रति कि0ली0	रु0 16.00 प्रति कि0ली0

बल्क कनेक्शन की दरें

	वर्तमान में अस्थाई संयोजन दर	दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी अस्थाई संयोजन दर	दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी अस्थाई संयोजन दर
आवासीय	रु0 7.50 प्रति कि0ली0	रु0 10.00 प्रति कि0ली0	रु0 11.00 प्रति कि0ली0
औद्योगिक/संस्थागत	रु0 10.00 प्रति कि0ली0	रु0 12.50 प्रति कि0ली0	रु0 13.00 प्रति कि0ली0
वाणिज्यिक	रु0 15.00 प्रति कि0ली0	रु0 18.75 प्रति कि0ली0	रु0 20.00 प्रति कि0ली0

वाटर सेस आवासीय (भूखण्ड/भवन)

	वर्तमान में	दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी दरें
15 एमएम	रु0 2.00 प्रतिमाह	रु0 3.00 प्रतिमाह
20 एमएम	रु0 4.00 प्रतिमाह	रु0 6.00 प्रतिमाह

वाटर सेस औद्योगिक/संस्थागत/वाणिज्यिक

	वर्तमान में	दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी दरें
15 एमएम	10.00 प्रतिमाह	16.00 प्रतिमाह
20 एमएम	18.00 प्रतिमाह	29.00 प्रतिमाह
25 एमएम	25.00 प्रतिमाह	40.00 प्रतिमाह
32 एमएम	30.00 प्रतिमाह	48.00 प्रतिमाह
40 एमएम	70.00 प्रतिमाह	112.00 प्रतिमाह
50 एमएम	100.00 प्रतिमाह	160.00 प्रतिमाह
65 एमएम	180.00 प्रतिमाह	288.00 प्रतिमाह
80 एमएम	280.00 प्रतिमाह	448.00 प्रतिमाह
100 एमएम	450.00 प्रतिमाह	720.00 प्रतिमाह
125 एमएम	700.00 प्रतिमाह	1120.00 प्रतिमाह

वर्तमान में 15 एमएम से अधिक पानी कनेक्शन एवं 150 एमएम से अधिक सीवर कनेक्शन जारी करने पर उपभोक्ता से अतिरिक्त रूप में प्रशासनिक खर्च में निम्न प्रकार होंगे :-

पानी कनेक्शन का डायामिटर	वर्तमान में वसूल की जा रही राशि			दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी राशि			दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी राशि		
	औद्योगिक	संस्थागत	वाणिज्यिक	औद्योगिक	संस्थागत	वाणिज्यिक	औद्योगिक	संस्थागत	वाणिज्यिक
¾"	10000.00	20000.00	40000.00	16000.00	32000.00	64000.00	17200.00	34400.00	68800.00
1"	20000.00	30000.00	50000.00	32000.00	48000.00	80000.00	34400.00	51600.00	86000.00
1.25"	-	-	-	-	-	-	40000.00	56000.00	96000.00
1.5"	30000.00	40000.00	70000.00	48000.00	64000.00	112000.00	51600.00	68800.00	120400.00
2"	50000.00	60000.00	90000.00	80000.00	96000.00	144000.00	86000.00	103200.00	154800.00
2.5"	60000.00	80000.00	110000.00	96000.00	128000.00	176000.00	103200.00	137600.00	189200.00
3"	80000.00	100000.00	140000.00	128000.00	160000.00	244000.00	137600.00	172000.00	262300.00
3.5"	100000.00	120000.00	160000.00	160000.00	192000.00	256000.00	172000.00	206400.00	275200.00
4"	120000.00	150000.00	200000.00	192000.00	240000.00	320000.00	206400.00	258000.00	344000.00
5"	140000.00	170000.00	220000.00	224000.00	272000.00	352000.00	240800.00	292400.00	378400.00
6"	160000.00	190000.00	240000.00	256000.00	304000.00	384000.00	275200.00	326800.00	412800.00
7"	180000.00	210000.00	260000.00	288000.00	336000.00	416000.00	309600.00	361200.00	447200.00
8"	200000.00	230000.00	280000.00	320000.00	368000.00	448000.00	344000.00	395600.00	481600.00
9"	220000.00	250000.00	300000.00	352000.00	400000.00	480000.00	378400.00	430000.00	516000.00
10"	240000.00	260000.00	320000.00	384000.00	416000.00	512000.00	412800.00	464400.00	550400.00
12"	-	-	-	-	-	-	481600.00	533200.00	619200.00

सीवर कनेक्शन का व्यास	वर्तमान में वसूल की जा रही राशि			दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी राशि			दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी राशि		
	औद्योगिक	संस्थागत	वाणिज्यिक	औद्योगिक	संस्थागत	वाणिज्यिक	औद्योगिक	संस्थागत	वाणिज्यिक
200mm dia	30000.00	50000.00	70000.00	48000.00	80000.00	112000.00	51600.00	86000.00	120400.00
250mm dia	50000.00	70000.00	100000.00	80000.00	112000.00	160000.00	86000.00	120400.00	172000.00
300mm dia	70000.00	100000.00	140000.00	112000.00	160000.00	224000.00	120400.00	172000.00	240800.00
400mm dia	90000.00	125000.00	170000.00	144000.00	200000.00	272000.00	154800.00	215000.00	292400.00

ग्रुप हाऊसिंग में 100 एम.एम. व्यास तथा अधिक जल संयोजन चार्जेज (प्रशासनिक चार्जेज)

पूर्व में स्वीकृत राशि

दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी राशि

दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी राशि

1. E.W.S./LIG

रु० 5000 के स्थान पर

रु० 8000 प्रति फ्लैट

रु० 8600 प्रति फ्लैट

2. MIG/HIG/Duplx

रु० 10000 के स्थान पर

रु० 16000 प्रति फ्लैट

रु० 17200 प्रति फ्लैट

3. संभालन एवं अनुरक्षण शुल्क

रु० 6000 के स्थान पर

रु० 9600 प्रति माह

रु० 10320 प्रति माह



(R.M. Charges)

उपरोक्त बिन्दु सं0 1 से 3 में जल संयोजन प्रशासनिक चार्ज एवं अनुरक्षण शुल्क एक बार ही लिये जाते हैं। संचालन एवं अनुरक्षण (Running & Maintenance Charges) कब्जा प्रमाण पत्र के माह से उपभोक्ता के जल संयोजन की तिथि तक लिया जाता है। जिन प्रकरणों में धनराशि जमा की गई है तथा संयोजन आदेश निर्गत नहीं हुआ है उनसे बढ़ी दरों के अनुसार अवशेष राशि जमा कराने के उपरान्त संयोजन आदेश निर्गत किये जायेंगे।

वर्तमान में झुग्गी वासियों को फ्लैट आवंटित किये गये हैं जिनका क्षेत्रफल E.W.S. (DS-1) के लगभग बराबर है। अतः इनसे भी जल संयोजन दरें /जल प्रभार की राशि (DS-1) के बराबर ही लिया जाना उचित होगा।

ग्रुप हाऊसिंग के प्रकरणों में दरें किलो लीटर अथवा फ्लैट के प्रतिमाह शुल्क का 75 प्रतिशत, दोनों में जो भी अधिक होगा वह उचित होगा।


अनुरक्षण शुल्क :-

1. 1000 वर्गमीटर तक जल प्रभार दर का 50 प्रतिशत अनुरक्षण शुल्क लिया जाता है।
2. 1000 वर्गमीटर से अधिक के प्रकरणों में अनुरक्षण शुल्क निम्न प्रकार से लिया जाना उचित होगा :-

	औद्योगिक	वाणिज्यिक
1000 - 5000 तक	600.00	1000.00
5001 - 10000 तक	1000.00	1500.00
10000 से अधिक के प्रकरणों में प्रत्येक 10 हजार वर्ग मीटर बढ़ने पर 1000/- की बढ़ोत्तरी किया जाना प्रस्तावित है।	2000.00	3000.00

3. वर्तमान में जी0एस0टी0 लागू हो जाने के कारण पूर्व में जल राजस्व अनुभाग द्वारा जल प्रभार पर सेस लिया जाना उचित नहीं होगा। अतः जल प्रभार पर सेस समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्राधिकरण से चालान प्राप्त न होने की दशा में आवंटी/उपभोक्ता सम्बन्धित बैंक में उपलब्ध चालान में धनराशि भरकर जमा करायेंगे अथवा ऑन लाइन भुगतान भी कर सकते हैं।



(अविनाश त्रिपाठी)
विशेष कार्याधिकारी (टी)
नौएडा

o/c

प्रतिलिपि :-

- स्टाफ ऑफिसर को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस) महोदया के सादर सूचनार्थ।
- वित्त नियन्त्रक नौएडा।
- उप महाप्रबन्धक (जल)।
- सहायक महाप्रबन्धक (सिस्टम) नौएडा को प्राधिकरण की वेबसाइट में संशोधन करने हेतु।
- अध्यक्ष/महासचिव फोनरवा सैक्टर 52 नौएडा।
- अध्यक्ष/महासचिव नौएडा इण्टरपिनियोर्स एसोसिएशन।
- समस्त आर.डब्ल्यू.ए. नौएडा।

o/c


विशेष कार्याधिकारी (टी)
नौएडा